

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-229 / 2016 / जयपुर

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, राज. जयपुर।  
बनाम

मैसर्स इण्डियन स्टील कारपोरेशन लिमिटेड,  
4078, चतुर्थ तल, क्रिस्टल मॉल, सवाई जयसिंह हाईवे जयपुर।

...अपीलार्थी

...प्रत्यर्थी

### खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य  
श्री नथूराम, सदस्य

उपस्थित ::

श्री डी. पी. ओझा, उप राजकीय अभिभाषक  
श्री सिद्धार्थ रांका, अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से  
....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.01.2017

### निर्णय

1. अपीलकर्ता विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी—प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिन्हें आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। जिसमें सहायक आयुक्त, वृत्त—जी, जयपुर (जिन्हें आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित किया गया हैं, उक्त आदेश में कायम मांग राशि कर रूपये 46,66,272/-, ब्याज रूपये 23,79,799/- एवं शास्ति रूपये 93,32,545/- कुल रूपये 1,63,78,616/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण उपायुक्त (प्रशासन) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर के आदेश की पालना में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—प्रथम, वृत्त—जी, जयपुर के (जिसको आगे जांच अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा किया गया। जांच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी से दस्तावेजात् प्राप्त करने के पश्चात् अभियोग बनाया गया। उपायुक्त (प्रशासन) के आदेश कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। जांच अधिकारी द्वारा अभियोग प्रस्तावित किया गया कि व्यवहारी द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान राशि रूपये 9,33,25,448/- की 5 प्रतिशत करयोग्य माल की बिक्री का विवरणी एवं लेखापुस्तकों में इन्द्राज नहीं किया गया है। निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने अपनी वार्षिक विवरणी में अधिनियम के तहत निर्गतकर रूपये 3,95,00,281/- दर्शाया है तथा मूल कर निर्धारण में भी निर्गत कर रूपये 3,95,00,281/- माना गया है तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत देय कर दायित्व घोषणा पत्र 'सी' के समर्थन में रूपये 54,268/- दर्शाया है। अपीलार्थी व्यवहारी के के.वि.क.अ. 1956 के तहत पारित निर्णय में व्यवहारी द्वारा दर्शायी गयी कर दायित्व राशि रूपये 54,268/- को ही माना है तथा घोषणा पत्र "सी" प्रस्तुत नहीं करने पर अन्तर कर रूपये 27,13,397/-, ब्याज रूपये 70,007/- का आरोपण किया गया था जिसे अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् कम कर दिया गया। अतः व्यवहारी का यह तर्क कि मूल कर निर्धारण हिसाबी पुस्तकों के आधार पर किया गया है, सही नहीं माना गया, क्योंकि विभाग में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में जो आंकड़े दर्शाये गये, उन्हीं के आधार पर डीम्ड कर निर्धारण योजना के तहत कर निर्धारण पारित किया गया था। इसके

२३

।

क्रमश.....2.

अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह भी पाया गया कि व्यवहारी द्वारा वर्ष 2010–11 में रूपये 1,09,84,81,952/- का माल प्राप्त करना उसके द्वारा घोषणा पत्र "एफ" वैट-47 के उपयोग से प्रमाणित होता है, जबकि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी वैट-10ए में राशि रूपये 80,83,99,445/- राज्य के बाहर से खरीद/आयात दर्शाया है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2009–10 के व्यापार खाते में अंतिम रहतिया रूपये 4,76,20,252/- दर्शाया है, अतः वर्ष 2010–11 में प्रारम्भिक रहतिया रूपये 4,76,20,052/- होता है। व्यवहारी ने व्यापार खाते में रूपये 10,63,56,160/- प्रारम्भिक रहतिया दर्शाया है, अतः वर्ष 2010–11 का अंतिम रहतिया रूपये 10,63,56,156/- तथा सकल लाभ रूपये 4,38,00,000/- है (वर्ष 2009–10 में व्यवहारी का सकल लाभ उनके द्वारा पेश व्यापार खाते अनुसार 4.04 प्रतिशत है तथा वर्ष 2011–12 का सकल लाभ 3.94 प्रतिशत है। अतः आनुपातिक आधार पर वर्ष 2010–11 का लाभ 4.04 प्रतिशत माना गया है)। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पंहुचे की व्यवहारी द्वारा वर्ष 2010–11 में रूपये 1,08,35,45,861/- का विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है। इसके विपरीत व्यवहारी ने रूपये 99,02,20,413/- का ही विक्रय घोषित कर, कर चुकाया है। अतः व्यवहारी द्वारा रूपये 9,33,25,448/- का विक्रय छुपा कर करापवंचन किया जाना प्रमाणित पाया गया। व्यवहारी ने कन्साइन्मेंट पर प्राप्त माल को कम दर्शकर व्यापार खाते में उतनी ही राशि की बिक्री छुपा ली है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह भी पाया गया कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वैट-48 की जांच से प्रमाणित होता है कि वर्ष 2010–11 में कन्साइन्मेंट पर माल मंगवाकर विक्रय कर दिया गया, किन्तु उक्त माल का विवरणियों में अंकन नहीं किया गया है। व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009–10 एवं 2011–12 के व्यापार खाते के आधार पर लाभांश की गणना की गई है। अतः व्यवहारी के जवाब को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुये उचंत बिक्री रूपये 9,33,25,448/- पर 5 प्रतिशत से कर रूपये 46,66,272/- आरोपित किया गया, इसके अतिरिक्त कर राशि समय पर अदा नहीं किये जाने के कारण उस पर ब्याज रूपये 23,79,799/- का आरोपण किया गया, इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा दोषी मनोभाव के तहत करापवंचन का कृत्य किये जाने के कारण धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 93,32,545/- आरोपित की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसका निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील को स्वीकार किया। जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित है, अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके विरुद्ध सम्पूर्ण मांग पत्र उसके द्वारा कारित मानवीय भूल एवं तकनीकी कारणों से आरोपित की गई है। इस संदर्भ में व्यवहारी द्वारा समस्त रिस्ति कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष अपने जवाब दिनांक 17.11.2014 में स्पष्ट कर दी गई थी, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग कायम करने के उद्देश्य से आदेश पारित किया गया, जोकि अविधिक एवं अनुचित है। उन्होंने आगे कथन

किया कि वर्ष 2009-10 का व्यापार खाता प्रस्तुत करते समय अंतिम रहतिया की एक प्रविष्टि के नीचे रेखा अंकित नहीं होने के कारण दो मदों की राशियों को जोड़ लिया गया, जिसे वर्ष 2009-10 का अंतिम रहतिया राशि रूपये 4,76,20,052/- गलती से प्रदर्शित कर दी गई थी। उक्त अंतिम रहतिया राशि को वर्ष 2010-11 में प्रारम्भिक स्टॉक में शामिल कर लिया गया। जबकि वर्ष 2010-11 में उक्त ॲपनिंग स्टॉक राशि रूपये 4,76,20,052/- के स्थान पर मात्र रूपये 2,45,08,927/- होनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त उनका कथन है कि व्यवहारी को वर्ष 2010-11 के दौरान राशि रूपये 80,83,99,445/- की सी.आर.सी.ए कॉयल, जी.पी. कॉयल, जी.सी. शीट्स एवं एच.आर. शीट्स उसके प्लांट गांधीधाम से स्टॉक ट्रांसफर पर प्राप्त हुई थी जिसे व्यवहारी द्वारा व्यापार खाते में दर्शाया गया है, लेकिन त्रुटिवश रूपये 10,81,587/- का माल जो कि व्यवहारी को स्टॉक ट्रांसफर पर प्राप्त हुआ था, को वर्ष 2011-12 के व्यापार खाते में दर्शाया गया है। इसी प्रकार राशि रूपये 28,89,89,880/- का मॉल जो कि व्यवहारी को स्टॉक ट्रांसफर पर प्राप्त हुआ था को वर्ष 2010-11 के व्यापार खाते में अंकित करने से रह गया। अतः वर्ष 2010-11 में व्यवहारी द्वारा माल की कुल प्राप्ति रूपये 1,09,84,81,901/- रूपये की थी एवं वर्ष 2010-11 की अंतिम रहतिया रूपये 10,63,56,165/- था। उक्त त्रुटियों के कारण व्यवहारी का वर्ष 2010-11 में सकल लाभ व्यापार खाते में रूपये 24,05,57,082/- प्रदर्शित कर दिया गया। जबकि उक्त वर्ष में व्यवहारी को रूपये 2,64,10,641/- की हानि हुई थी। व्यवहारी द्वारा उक्त तथ्यात्मक स्थिति कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जवाब में स्पष्ट कर दी थी, लेकिन सशक्त अधिकारी द्वारा तथ्यों पर गौर किये बिना ही व्यवहारी के विरुद्ध मांग कायम कर दी गई, जो कि अविधिक एवं अनुचित है।

6. उन्होंने आगे कथन किया कि राजस्थान राज्य के बाहर स्थित ब्रांचों से स्टॉक ट्रांसफर पर प्राप्त मॉल के संबंध में व्यवहारी द्वारा संधारित स्टॉक रजिस्टर से स्पष्ट है कि उक्त वर्ष में प्राप्त माल का कुल मूल्य उनके द्वारा जारी "एफ" फार्म के आंकड़ों से समानता रखता है। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा माल आयात करने हेतु फार्म वैट-47 उपयोग में लिये जाते हैं जिनकी विवरणी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वैट-48 में त्रैमासिक विवरणियों के साथ प्रस्तुत कर दी गई थी। व्यवहारी द्वारा आयात के समस्त संव्यवहारों को उनके द्वारा प्रस्तुत वैट-48 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी माल व्यवहारी के द्वारा बेचा गया है उस पर व्यवहारी द्वारा पूर्ण दर से कर चुकाया गया है, अतः व्यवहारी द्वारा व्यापार खाते में माल प्राप्ति की कुछ प्रविष्टियों को शामिल नहीं करने से राजस्व को कोई हानि नहीं हुई है, क्योंकि व्यवहारी द्वारा की गई समस्त बिक्री पर कर चुका दिया गया है जिसमें वह माल भी शामिल है जिनकी प्रविष्टि वर्ष 2010-11 से संबंधित व्यापार खाते में शामिल होने से रह गई थी। कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 के व्यापार खातों में प्रदर्शित सकल लाभ को मुख्य आधार मानकर व्यवहारी के द्वारा की गई बिक्री रूपये 99,02,20,413/- को बढ़ा कर रूपये 1,08,35,45,861/- की बिक्री निर्धारित की है। इस संदर्भ में उनका कथन है कि वक्त कर निर्धारण व्यवहारी के द्वारा 2010-11 में प्राप्त माल 1,09,84,81,952/- की विगत, वैट-47 की विगत, परचेज रजिस्टर, सैल्स रजिस्टर, घोषणा प्रपत्र एफ की विगत एवं व्यापार खाते में प्रदर्शित करने से रही बिक्री रूपये 28,89,89,880/- एवं रूपये 10,81,587/- की विगत भी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मात्र अनुमान व कल्पना के आधार पर व्यवहारी के विरुद्ध मांग कायम की है जो कि अविधिक है।

7. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने यह भी कथन किया कि जब व्यवहारी द्वारा समस्त बिक्री पर कर चुका दिया गया था एवं खरीद एवं बिक्री से संबंधित सभी दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ऐसे कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह साबित होता हो कि व्यवहारी द्वारा उचंत बिक्री की गई हो। अतः साक्ष्य के अभाव में आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

8. व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह भी कथन है कि बिक्री सिद्ध करने का भार कर निर्धारण अधिकारी पर था जिसे सिद्ध करने में कर निर्धारण अधिकारी पूर्णतया विफल रहे हैं। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जवाब में यह स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया था कि मानवीय भूल के कारण रूपये 28,89,89,880/- एवं रूपये 10,81,587/- के माल की प्राप्ति को व्यापार खाते में प्रदर्शित करने से रह गया था, लेकिन जहां तक व्यवहारी द्वारा किये गये माल की बिक्री का प्रश्न है, समस्त बिक्रीत माल पर व्यवहारी के द्वारा राज्य सरकार को कर चुकाया गया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय मैसर्स गिरधारी लाल नन्हे लाल बनाम दी सैल्स टैक्स कमिशनर (एम.पी) (1977) 39 एसटीसी 30, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय मैसर्स कनोडिया पाईप एण्ड फिटिंग कम्पनी बनाम कमिशनर ऑफ सैल्स टैक्स (2001) 121 एसटीसी 415, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स चिंजीलाल लक्ष्मीनारायण (2006) 148 एसटीसी 570 एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड का निर्णय मैसर्स वी. एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., बनाम सहायक आयुक्त, (2004) 8 टैक्स अपडेट 304 उद्धरित किये।

9. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मात्र अनुमान एवं कल्पना के आधारों पर व्यवहारी के विरुद्ध मांग कायम की है। यह विधि का सुरक्षाप्राप्ति सिद्धांत है कि बिना ठोस साक्ष्य जुटाये किसी के विरुद्ध मांग कायम नहीं की जा सकती है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्टेट ऑफ केरला बनाम एम. एम. मैथ्यू एवं अन्य (1978) 42 एसटीसी 348 उद्धरित किया।

10. उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड पत्रावली का परिशीलन किया गया। इस प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 में व्यवहारी द्वारा प्रदर्शित सकल लाभ का औसत 4.04 प्रतिशत निकालते हुए, वर्ष 2010-11 में सकल लाभ को भी 4.04 प्रतिशत तक सीमित करते हुए शेष राशि रूपये 9,33,25,448/- की बिक्री मानते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किया है। इस संबंध में व्यवहारी द्वारा कुछ माल प्राप्ति की प्रविष्टिया वर्ष 2010-11 से संबंधित व्यापार खाते में मानवीय भूल से प्रदर्शित होने से रह गई थी। लेकिन व्यवहारी द्वारा बिक्रीत समस्त माल पर उसके द्वारा कर चुकाया गया है, जिसमें कि वह माल भी शामिल है जिसकी प्रविष्टियां व्यापार खाते में प्रदर्शित होने से छूट गई थी। रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उक्त वर्ष की खरीद से संबंधित रजिस्टर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें की व्यवहारी द्वारा समस्त खरीद को शामिल किया गया है जिसमें वह प्रविष्टियां भी शामिल हैं जो कि व्यापार खाते में प्रदर्शित होने से छूट गई थी। इसी तरह व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष बिक्री रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत की गई थी, जिसमें व्यवहारी द्वारा बिक्रीत

वस्तुओं का पूर्ण विवरण मौजूद है। बिक्री रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा समस्त बिक्री पर कर चुकाया गया है। इस बिक्री में वह माल भी शामिल है जो कि व्यवहारी के व्यापार खाते में प्रदर्शित होने से छूट गया था। इस तथ्य को कर निर्धारण अधिकारी ने भी विवादित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त व्यवहारी के पास उक्त वर्ष में रूपये 2,45,08,927/- का प्रारम्भिक स्टॉक था। व्यवहारी ने उक्त वर्ष में रूपये 1,09,84,81,901/- का माल अपने प्लांट एवं अन्य स्थानों से प्राप्त किया है। इस माल में से व्यवहारी ने रूपये 99,02,20,413/- के माल की बिक्री की है एवं शेष माल रूपये 10,63,56,166/- का उक्त वर्ष में क्लॉजिंग स्टॉक प्रदर्शित किया है। यदि रूपये 9,33,25,448/- का विक्रय छुपाकर करापवंचन किया है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी के पास क्लॉजिंग स्टॉक मात्र रूपये 1,30,30,717/- का ही होना चाहिए, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा घोषित क्लॉजिंग स्टॉक को विवादित नहीं किया है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिक प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी का आक्षेप कि व्यवहारी द्वारा प्राप्त माल को व्यापार खाते में प्रदर्शित नहीं किया है तर्क के लिए स्वीकार भी कर लिया जाये, तब भी व्यवहारी ने व्यापार खाते में रूपये 99,02,20,413/- की बिक्री प्रदर्शित की है, जबकि व्यवहारी द्वारा उक्त व्यापार खाते में मात्र रूपये 80,83,99,445/- की ही माल प्राप्ति घोषित की है। जब व्यवहारी द्वारा मात्र रूपये 80,83,99,445/- की ही माल प्राप्ति बताई है तब रूपये 99,02,20,413/- की बिक्री करना सम्भव नहीं है। इस तथ्य से भी व्यवहारी के तर्क को बल मिलता है कि उसके द्वारा समस्त बिक्रीत माल पर कर चुकाया गया है। व्यवहारी ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया था कि उसके द्वारा वर्ष 2010–11 में रूपये 10,81,587/- एवं रूपये 28,89,89,880/- की माल प्राप्ति को व्यापार खाते में दर्शाने से रह गया है तब कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मात्र रूपये 9,33,25,448/- का ही करापवंचन किस प्रकार से माना गया है ? यहां यह भी उल्लेखनीय है कि व्यवहारी द्वारा संधारित स्टॉक रजिस्टर में प्राप्त माल का कुल मूल्य उनके द्वारा जारी “एफ” फार्म के आंकड़ों से समानता रखता है। व्यवहारी द्वारा माल के आयात हेतु फार्म-47 का उपयोग किया है एवं उपयोग में लिये गये वैट-47 का विवरण कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वैट-48 त्रैमासिक विवरणियों के साथ प्रस्तुत किया है। व्यवहारी द्वारा उपयोग में लिये गये वैट-47 में भी माल प्राप्ति की राशि वही अंकित की गई है। अतः जब सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, फार्म-एफ का विवरण एवं वैट-47 के विवरण में राशियां समान हैं तब कर निर्धारण अधिकारी को यह आक्षेप कि व्यवहारी द्वारा रूपये 9,33,25,448/- की उचंत बिक्री की गई है, उचित प्रतीत नहीं होता है। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो कि व्यवहारी द्वारा उक्त राशि की बिक्री बिना जमा खर्च के की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि बिक्री साबित करने का दायित्व कर निर्धारण अधिकारी का है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में कर निर्धारण अधिकारी को यह स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया था कि उसके द्वारा आयातित समस्त माल का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में दर्ज है एवं मात्र मानवीय भूल के कारण कुछ माल प्राप्तियों की प्रविष्टियों का इन्द्राज व्यापार खाते में होने से छूट गया है। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा समस्त बिक्री जिसमें की वह खरीद भी शामिल है जो कि व्यापार खाते में इन्द्राज होने से छूट गई थी, पर राज्य सरकार को कर अदा किया है। ऐसी स्थिति में करवंचना को साबित करने का भार कर निर्धारण अधिकारी को था, जिसको साबित करने में वे पूर्ण रूप से विफल रहे हैं।

11. इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स चिंरजीलाल लक्ष्मीनारायण (2006) 148 एसटीसी 570 के प्रकरण में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है कि :—

**“..... Dismissing the petition, that before a tax can be imposed, the burden of proof to establish taxable sales in the hands of the dealer lies upon the revenue. Such burden having not been discharged by the assessing authority, the appellate authorities were right in holding that merely on the basis of such check-post entries the movement of goods could not be taxed as inter-State sales in the hands of dealer. Even, if the dealer failed to produce the books of account, the assessing authority could gather material from other sources to prove such taxable inter-State sales, such as enquiry from purchasing dealers of destination station, but nothing of this sort was done by the assessing authority. There was no error in the these appellate orders.....”**

12. कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने मांग कायम करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं बताया है एवं समस्त कार्यवाही मात्र संदेह, संयोग एवं शक के आधार पर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ केरला बनाम एम. एम. मैथ्यू एवं अन्य (1978) 42 एसटीसी 348 में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है :—

**“.....Strong suspicion, strange coincidences and grave doubts cannot take the place of legal proof. To establish the charges against the respondent, it was essential for the prosecution to establish that the secret books of account related to the business transactions carried on by the respondents and none else.....”**

13. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं अविधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित प्रतीत नहीं होता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित सम्पूर्ण आदेश वर्ष 2009–10 एवं 2011–12 के व्यापार खातों में प्रदर्शित सकल लाभ के औसत के आधार पर बनाया गया है, जबकि उक्त वर्ष 2010–11 में व्यवहारी ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत व्यापार खाते में हानि प्रदर्शित की है। वैसे भी कर निर्धारण अधिकारी तथाकथित उचंत बिक्री के संबंध में किसी भी तरह का ठोस साक्ष्य जुटाने में विफल रहे हैं एवं ना ही ऐसा कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पत्रावली से परिलक्षित होता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने के आदेश दिनांक 15.06.2015 में कोई तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः इसकी पुष्टि की जाती है।

14. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2015 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से उसको यथावत रखा जाता है एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( नंत्यूराम रुग्ना ॥ २०१६  
सदस्य

23.1.2017  
( मदन लाल )  
सदस्य